Forest Department

कायालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 622 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के अन्तर्गत नगदलगांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/19460/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार का की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/166/2020/एफ0सी0/990 दिनांक 25–10–2023।

महोदय,

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी अनुपालन ऑख्या कार्यदायी संस्था द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग को प्रेषित की गई है जिसे प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 745/12–1 दिनांक 28–08–2025 से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–2)**
3	प्रतिपूरक वनीकरण :– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.66 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काण्ड खसरा सं0 2307 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित धनराशि रू0 11,93,784.00 RTGS चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–3)**
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण दोनों के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

o/c

	जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के para 2-4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकर अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित सभी सूचनाएं ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित धनराशि रू0 11,93,784.00 RTGS चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–3 के अनुसार)**
5	शुद्व वर्तमान मूल्य :– (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या –202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30/10/2002, दिनांक 01/08/2003, दिनांक 28/03/2008, दिनांक 09/05/2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998– एफ0सी0 ;चजण2द्ध दिनांक 18/09/2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03/10/2006, 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 एवं 5–3/2011–एफ0सी0 ;टवस.1द्ध दिनांक 06/01/2022 में जारी दिशा – निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 1.33 हे0 वन क्षेत्र के	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वांछित धनराशि रू0 17,19,491.00 RTGS चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–4)**

	प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 126 वृक्षों एव 186 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–6)**
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है किं प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–7)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित/जमा की जायगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0 2006 कर पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–8)**
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28/06/2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये, और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–9)**

11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–10)
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–11)
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–12)
15	वन भूमि पर कोइ श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–13)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–14)
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–15)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–16)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–17)
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–18)
21	इनमें किसी भी शर्त का उल्लघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है किं प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (संलग्नक–19)

	फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–20)**
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–21)**
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। **(संलग्नक–22)**
25	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रेषित उत्तरालेख के आधार पर उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 622/12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

2– अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 745 /12–1 दिनांक 28/08/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय –: **जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजा के अन्तर्गत नगदलगांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/19460/2016.**

सन्दर्भ –: **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्रांक संख्या 8बी/यू०सी०पी०/06/166/2020/एफ०सी०/990 दिनांक 25.10.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव मे सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमे सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली द्वारा अपनी पत्रांक संख्या 1172/8सी दिनांक 25.8.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्न प्रकार है –

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.66 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काण्ड खसरा सं0 2307 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वांछित धनराशि रू0 11,93,784.00 RTGS चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। प्रति सलग्न है।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं Notificatin करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए० 1980 की guideline के चंत 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण दोनो के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
प्राप्ति सं० 1549

प्रभारी नैनीताल
आ० का० कै०
प्र०व० सं० / नो०
17-9-25

	(ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकर अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लागू नहीं है।
5	**शुद्व वर्तमान मूल्य** :– **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या –202/1995 मे IA नम्बर 556 दिनांक 30/10/2002, दिनांक 01/08/2003, दिनांक 28/03/2008, दिनांक 09/05/2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18/09/2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03/10/2006, 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 एवं 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक 06/01/2022 में जारी दिशा – निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 1.33 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वांछित धनराशि रू0 17,19,491.00 RTGS चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। प्रति सलग्न है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 126 वृक्षों एव 186 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	गाईडलाईन्स मे दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया

	(http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित/जमा की जायेगी।	गया है कि मान्य है।
9	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्गत प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28/06/2022 के अनुसार पांचवे वर्ष मे न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये, और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) मे वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगे।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	वन भूमि पर कोइ श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा– निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेंसियो विभाग अथवा व्यक्ति	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न

	को हस्तांतरित नही की जायेगी।	है।
21	इनमे किसी भी शर्त का उल्लघन वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
22	पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एव वन्यजीवों के सरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर जोशी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ...काण्डा... पट्टी ...[illegible]... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			173/3147	0.054	—							
			484/3148	0.019								
			1434/3145	0.015								
			2583/3150	0.403								
	कुल		1026	342.633								

9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के एवं उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 1132/2011 (एस.एल.पी. (सी०) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य) में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों, बिन्दु संख्या 1 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण आदि सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

ह० अ०

महोदय नकल असल से तैयार किया

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस क्षेत्र ... [illegible]

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....के.10.ड........ पट्टी ....मल्लीसेठी........ तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	मौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनाक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		97 .98 99 3/80	0.035 0.068 0.063 0.040	—	6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो ग्राम सभा को उसे वापस लेने का अधिकार होगा। 7- प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। 8- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया जाता हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी,						

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	मौलिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			58	0.025	—							
			64	0.070								
			68	0.019								
			69	0.016								
			70	0.008								

1- भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि आवंटित की जा रही है वह स्वयं अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाए तो उसके लिए वन विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह वन विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को वन विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....काकड़ी.................. पट्टी ....मल्ली सेली.................. तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में प्रभावित कानूनगो द्वारा प्रभावित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			82 96 98 99 2802	0.121 0.038 0.009 0.095 0.013	—							

संख्या: ~~287/XXVIII(7)56(39)-2015~~ 1887/XVII(1)/2015 दिनांक 30-07-2015 तथा उप जिलाधिकारी श्रीकोनी धाय नैनीताल स्वयं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) की आख्या के अनुसार ग्रीष्म [illegible] विभाग प्रवृति (वन कोड 290) की श्रेणी-9(3)(ड.) योग्य अन्य बंजर भूमि तहसील बेतालघाट (नैनीताल) के ग्राम-काकड़ी के नाम दर्ज श्रेणी-9(3)(ड.) योग्य अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्या: 35 के खसरा नम्बर: 2307 रकबा 45.773 है. भूमि में से रकबा 2.660 है. भूमि (200X133 मीटर) को वन विभाग, नैनीताल के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है

क्रमश:-2

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम काण्डा .... पट्टी मल्लीसेटी .... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली (7–12)	अन्य विवरण
2	3	4	5	6	7–12	13
		2307	53.613	—	तद्क्रम में आदिवासी अधिपत्य, अल्वाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या 111/2 सी० दिनांक 27-01-2015 से स्वयं कार्यालय को मो० प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग की स्वीकृति व [illegible], लोक निर्माण विभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 1440/II(2)/11-05 (प्रा०अ०)/2010, दिनांक 22-03-2021 सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण हेतु चयनित [illegible] (हेक्टेयर) [illegible] वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने की अपेक्षा की गई है।	
		12	0.060			
		18	0.146			
		25	0.007			
		30	0.074			
		|	|			

विधि विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 111/XXVII/11/2012-18(अ०), दिनांक: 09-07-2012, शासनादेश संख्या 273/XXVII(7)/2039 दिनांक 17-12-2012 एवं राजस्व विभाग के शासनादेश

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....काण्डा.................... पट्टी ....मल्लीसेठी.................... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1122	0·005	—	उपयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार उक्त भूमि की हरियाली छान्त 03 है जिस पर कुरी व काला बांस की झाड़ियां उगी है। उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है जिस पर 1100 पेड़ प्रति हे॰ वृक्षारोपण किया जा सकता है, अधिशासी अभियंता श्री कैंचीधाम (नैनीताल) के द्वारा उपरोक्त वन भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किये जाने बावत आख्या संदर्भ सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गई है इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम [illegible] को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में						
			1124	0·006								
			1126	0·016								
			1128	0·040								

शासनादेश सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....काण्डा.................... पट्टी ....मल्लीसेठी.................... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			533	0.005	—	के पत्र संख्या 484(1)/12 उ0प्र0 स0सी0/2023 24, दिनांक 09-07-2024 से उप जिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित को उक्त प्रस्तावित भूमि को अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाय। उप जिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या: 72/रि0क0/2024-2025 दिनांक 20-11-2024 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए चयनित भूमि का राजस्व विभाग, अस्थाई खण्ड भवाली (नैनीताल) वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाय,						
			538	0.035								
			540	0.050								
			543	0.014								
			|	|								

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ...काण्ड............................ पट्टी ...मल्लीसेठी........................... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	मौलिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे0	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्वेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			270 272 274 | |	0.035 0.004 0.020 / /		उपजिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या 2991/न0नि0/2024-25 दिनांक 28-06-24 से तहसील बेतालघाट (नैनीताल) अन्तर्गत ग्राम-काण्ड के नाम जेड0ए0 श्रेणी 9(3)(ङ) भूमि यानी अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्या: 36 के खसरा नं0 2307 रकबा 45.173 हेक्टेयर भूमि के मध्य रकबा 2.66 हे0 भूमि (200X133 मीटर) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय को उक्त भूमि को वन विभाग नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की उपरोक्त भूमि का अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल), वन प्रभाग						

एवम राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं करवायी गई जिस कारण इस कार्यालय

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष 2025 फसली 1435

ग्राम काण्डा पट्टी मल्लीसेठी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

श्रेणी - 5(3)(ग) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	अन्य बंजर		1	1.202	—							
			5	0.018								
			11	0.028								
			18अ	0.004								
			20	0.009								
			।	।								
			47	0.057								
			49	0.024								

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 6/12 जे0ए0 29 सी0/2024-2025 दिनांक 10 फरवरी 2025 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्या 884/8 सी0 दिनांक 08-05-2024 को द्वारा जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] गांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग के नाम नैनीताल के नाम हस्तान्तरण स्वत्व नामान्तरण किये जाने का आदेश दिया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 484/12 जे0ए0 500 सी0/2023-2024 दिनांक 05-06-2024 से उप जिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) के अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्या 884/8 सी0 दिनांक 08-05-2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र में चयनित भूमि का प्रस्ताव मय खसरा नक्शा इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6119460598
State Code.	UK
Address.	Executive Engineer P.W.D. BhowaliNainital
Amount(in Rs)	2913275/-

Amount In Words :Twenty-Nine Lakh Thirteen Thousand Two Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6119460598
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6119460598
State Code.	UK
Address:	Executive Engineer P.W.D. Bhowali Nainital
Amount(in Rs)	2913275/-

Amount in Words :Twenty-Nine Lakh Thirteen Thousand Two Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6119460598
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नगदल गॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अन्तिम रूप देने से कम दिया हो तो उनका व्यय भार वहन करने को लो0नि0वि0 सहमत है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
भवाली।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
भवाली।

Scanned with OKEN Scanner

	पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य है।
24	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	अपलोड कर दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक 587/8C / दिनांकित 07/05/2025

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>क्र0सं0</td><td>क्षेत्रफल हे0 में</td><td>CA Rate</td><td>जमा की जाने वाली धनराशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.33</td><td>12,92,850.00</td><td>17,19,491.00</td></tr>
</table>
उक्त दर का आंकलन भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2011 एफ0सी0 दिनांक 06/11/2022 के अनुसार की गयी है।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ – पत्र प्रस्तुत करेगा।</td><td>प्रमाण पत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 126 वृक्षों एवं ँचसपदहे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जायेगी।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>शर्त संख्या 7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित/जमा की जायेगी।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>शर्त संख्या 8 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 कर पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>शर्त संख्या 9 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28/06/2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये, और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>शर्त संख्या 10 के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौंधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>शर्त संख्या 11 के अनुपालन में नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक पौंधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध</td><td>मान्य है।</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं Notificatin करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के चंत 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण दोनो के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रारूप आपके स्तर से प्रेषित किया जाना है। प्रति सलग्न है।
	(ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकर अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	अपलोड कर दी गयी है।
4	शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	लागू नही है।
5	शर्त संख्या 5 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य :– (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या –202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30 / 10 / 2002, दिनांक 01 / 08 / 2003, दिनांक 28 / 03 / 2008, दिनांक 09 / 05 / 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18 / 09 / 2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक 03 / 10 / 2006, 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05 / 02 / 2009 एवं 5–3 / 2011–एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक 06 / 01 / 2022 में जारी दिशा – निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 1.33 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार जमा की जानी है –	वांछित धनराशि रू0 17,19,491.00 RTGS चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। प्रति सलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांकः-702/63 व्यघ-सा0-मान0/16 दिनांक 14/09/2020

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 440/।।।(1)/15 -62 (अधि0)/2006 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) में निम्न प्राविधान है :-

ऐसे स्थाई अनुरेखकों (ट्रेसर/रेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में अस्थाई सेवा समेत कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

परन्तु अपेक्षित संख्या में अनुरेखक प्राप्त न होने की दशा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अर्हताएं रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मानचित्रकार के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में यथास्थिति 10 प्रतिशत पद प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

परन्तु यह कि यदि, किसी वर्ष में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1182/।।।(1)/19-62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 द्वारा उक्त नियमावली में वर्णित अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक के साथ-साथ वर्क ऐजेण्ट के पदधारकों को भी मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता श्रेणी में रखा गया है।

शासनादेश संख्या 1813/।।।(1)/15-190(PWD)/01 दिनांक 15.12.2015 द्वारा मानचित्रकार के स्वीकृत 107 पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) एवं शासनादेश संख्या-1182/।।।(1)/19-62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 में निहित व्यवस्थानुसार 10 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु 11 पद बनते है, जिसका **रिक्त पदों के सापेक्ष अनुरेखक के पद पर पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में** पृथक-पृथक अनुपात निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों का सन्दर्भ	कोटा जिसका प्राविधान किया गया है।	कोटे के पश्चात् पदोन्नति हेतु निर्धारित पद
1	अमीन	145	शासनादेश संख्या 1813/।।। (1)/15- 190 (PWD)/01 दिनांक 15.12.2015	145X11/6127 = 0.26	शून्य पद
2	मेट	944	शासनादेश संख्या- 834/।।।(1)/06- 190 (पी0डब्लयू0डी0)/2001 टी0सी0-2 दिनांक 06.10. 2006	944X11/6127 = 1.69	दो पद
3	बेलदार	3960	—तदैव—	3960X11/6127 = 7.10	सात पद
4	अनुसेवक	286	—तदैव—	286X11/6127 = 0.51	एक पद
5	वर्कएजेन्ट	792	—तदैव—	792X11/6127 = 1.42	एक पद
पदों का योग		6127			

ह0/
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

PWD UTTARAKHAND eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक 587 /8C दिनांक 07/05/ 2025

सेवा में
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नैनीताल।
नैनीताल।

विषय –: जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजा के अन्तर्गत नगदलगांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/19460/2016

सन्दर्भ –: आपका पत्रांक 3025 / 12–1 दिनांक 29 / 11 / 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक् प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार से अनुपालन किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>आपत्ति</th><th>निराकरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td></td><td>शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शर्त संख्या 3 के अनुपालन में

प्रतिपूरक वनीकरण :–

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.66 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काण्ड खसरा सं0 2307 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। इस शर्त हेतु निम्न धनराशि जमा की जानी आवश्यक है –

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>क्षेत्रफल हे0 में</th><th>CA Rate</th><th>जमा की जाने वाली धनराशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2.66</td><td>4,48,791.00</td><td>11,93,784.00</td></tr>
</table>
</td><td>वांछित धनराशि रू0 11,93,784.00 RTGS चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। प्रति सलग्न है।</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner